

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाडा(राज.)

प्रकरण संख्या 150 / 2017

नारायण भील

बनाम दगना भील कौर

प्रार्थनापत्र-अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0

- आदेश :-

दिनांक-16/5/17

प्रार्थनापत्र प्रार्थीश्री

श्री S. N. Singar Ad

नारायण भील

ने जरिये आशुतोष

ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एकल,

खाता नं० 147 की 832, 842

खाते की भूमि ग्राम थलकला प0ह0 थलकला तह0 माण्डलगढ में आ 796/2, 84, रकबा 2 रकबा 5 बीघा 137 विस्वा, खाता नं० 83 और 796/1, रकबा 4 रकबा 7 बीघा 14 विस्वा खाता नं० 84 की रकबा 229 रकबा 8 विस्वा

विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जाये। साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान आशुतोष की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2071-2074 के अवलोकन से प्रार्थी आराजीयात का खातेदार / गैरखातेदार काश्तकार है। पडौसियान के विवाद करने में शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0क्ट स्वीकार किया गया- थलकला की आराजी नं० 796/2, 84, रकबा 5 बीघा 137 विस्वा रकबा 4 रकबा 7 बीघा 14 विस्वा खाता नं० 84 की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है। भू-अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस / रूपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पत्थरगढी की शुल्क राशि 100 / रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।